

Section 50 : Interest on delayed payment of tax

- (1) Every person who is liable to pay tax in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder, but fails to pay the tax or any part thereof to the Government within the period prescribed, shall for the period for which the tax or any part thereof remains unpaid, pay, on his own, interest at such rate, not exceeding eighteen per cent., as may be notified by the Government on the recommendations of the Council.
- ¹[**Provided that** the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period, shall be payable on that portion of the tax which is paid by debiting the electronic cash ledger.]
- (2) The interest under sub-section (1) shall be calculated, in such manner as may be prescribed, from the day succeeding the day on which such tax was due to be paid.
- ²[(3) Where the input tax credit has been wrongly availed and utilised, the registered person shall pay interest on such input tax credit wrongly availed and utilised, at such rate not exceeding twenty-four per cent. as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, and the interest shall be calculated, in such manner as may be prescribed.]

1 Proviso substituted by the Finance Act, 2021 (No. 13 of 2021) w.e.f. 01-07-2017. [However, Noti. No. 16/2021–Central Tax, dt. 01-06-2021 appoints 01-06-2021 as the date of enforcement]. Earlier to substitution it read as under:

^A"**Provided that** the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period, shall be levied on that portion of the tax that is paid by debiting the electronic cash ledger."

A. Earlier the above proviso inserted by Finance (No. 2) Act, 2019 (No. 23 of 2019). It is made effective from 01-09-2020 by Noti. No. 63/2020–Central Tax, dt. 25-08-2020.

2 Sub-section (3) substituted by Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022) w.e.f. 01-07-2017. [However, Noti. No. 09/2022–Central Tax, dt. 05-07-2022 appoints 05-07-2022 as the date of enforcement]. Earlier to substitution it read as under:

"(3) A taxable person who makes an undue or excess claim of input tax credit under sub-section (10) of section 42 or undue or excess reduction in output tax liability under sub-section (10) of section 43, shall pay interest on such undue or excess claim or on such undue or excess reduction, as the case may be, at such rate not exceeding twenty-four per cent., as may be notified by the Government on the recommendations of the Council."

धारा 50 : कर के विलंबित संदाय पर ब्याज

- (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में कर का संदाय करने का दायी है किन्तु सरकार को विहित अवधि के भीतर कर या उसके किसी भाग का संदाय करने में असफल रहता है, उस अवधि के लिए जिसके दौरान कर या उसका कोई भाग असंदत्त रहता है, स्वयं ऐसी दर पर, जो अठारह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए, ब्याज का संदाय करेगा :

¹[परन्तु धारा 39 के उपबंधों के अनुसार, किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में और शोध्य तारीख के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत विवरणी में घोषित संदेय कर पर ब्याज, सिवाय वहां के जहां ऐसी विवरणी उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ होने के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है, कर के उस भाग के लिए संदेय होगा, जिसे इलैक्ट्रानिक नकद लेजर से विकलन करके संदत्त किया जाता है।]

- (2) उपधारा (1) के अधीन ब्याज की संगणना उस दिन, जिसको ऐसा कर संदाय किए जाने के लिए शोध्य था, के पश्चात्तर्वर्ती दिन से, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी।

²[(3) जहां इनपुट कर प्रत्यय का गलत उपभोग और उपयोग किया गया है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे गलत उपभोग और उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाने वाली चौबीस प्रतिशत से अनधिक दर पर ब्याज का संदाय करेगा और ब्याज की गणना ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी।]

- 1 वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) द्वारा परंतुक प्रतिस्थापित और दिनांक 01.07.2017 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा। अधिसूचना क्रं. 16/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 01.06.2021 द्वारा इस प्रावधान को दिनांक 01.06.2021 से प्रभावशील किया गया। प्रतिस्थापना के पूर्व यह इस प्रकार था :

^Aपरन्तु किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में संदेय कर पर ब्याज को, जिसे धारा 39 के उपबंधों के अनुसार नियत तारीख के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित किया गया है, सिवाय वहां के, जहां ऐसी विवरणी को उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्ही कार्यवाहियों के प्रारंभ के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है, कर के उस भाग पर उद्ग्रहीत किया जाएगा, जिसका संदाय इलैक्ट्रानिक नकद खाते से राशि को निकालकर किया गया है।

A वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) द्वारा परंतुक अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 63/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 25.08.2020 द्वारा दिनांक 01.09.2020 से प्रभावशील किया गया। लेकिन सीबीईसी-20/01/08/2019-जीएसटी, दिनांक 18.09.2020 द्वारा प्रशासनिक निर्देश दिया गया है कि 01.07.2017 से 31.08.2020 तक की अवधि के लिए ब्याज शुद्ध नगद कर दायित्व पर वसूला जाएगा।

- 2 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा उपधारा (3) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)। [यद्यपि अधिसूचना क्रमांक 09/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा दिनांक 05.07.2022 से प्रभावशील किया गया।]

प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार थी :

“(3) कोई कराधेय व्यक्ति, जो धारा 42 की उपधारा (10) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का असम्यक् या आधिक्य का दावा करता है या धारा 43 की उपधारा (10) के अधीन आउटपुट कर दायित्व में असम्यक् या आधिक्य कमी करने का दावा करता है, तो वह, यथास्थिति, ऐसे असम्यक् या आधिक्य दावे या ऐसी असम्यक् या आधिक्य कमी पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाने वाली चौबीस प्रतिशत से अनधिक दर पर ब्याज का संदाय करेगा।”